छत्तीसगढ़ ासन
जल संसाधन वेभाग
मंत्राल॰
महानदी भवन, न ा रायपुर
//आदेश //

रायपुर, दिनांक 12-2-2013

क्रमांक एफ 9—1/31/स्था./2012 :: राज्य शासन एतद्‌ रा श्री पी.आर.चौरसिया, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 एवं अब वि मान नियम, 2012 के तहत मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिहावा भवन, रायपुर के पद पर उ के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा विभागीय पदोन्नति से पद पूर्ति होने तक, इनमें से जो भी हले हो, तक की अवधि हेतु अस्थाई रूप से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है । श्री चौरसिया के वेतनादि का उ हरण विभाग में मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित होगा । संविदा नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार हैः—

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसक अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि ी पात्रता नही होगी ।
2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त रा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्त के समय ाप्त मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से त्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे ।
3. संवदि वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के अधिकतम (अधिकतम से 10 प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नही होगा ।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राह पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासक य आवास गृह में रह रहें हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्र होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा, जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था।
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन तु गोपनीय प्रतिवेदन लिया जावेगा।
7. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अ स्थाई कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो सेवानि त के तत्काल पूर्व थी।
9. छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम—1965 लागू होगा।
10. संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में प्रावधानित अन्य शर्त यथावत रहेगी ।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9—1/2004/1—3, दिनांक 19/07/2007 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए सामान्य प्रश ान विभाग के यू.ओ. क्रमांक 663/सा.प्र.वि./कक्ष—3, दिनांक 23.11.2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
12. प्रकरण में वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 832/सी न./बजट—2/चार 20013/1004316, दिनांक 30.01.2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9— /2006/1/6, दिनांक 05.08.2006 में निर्दिष्ट अनुसार संविदा नियुक्त अधिकारी को उनके अधीनस्थ कार्य त शासकीय सेवकों के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन करने का अधिकार नही होगा।
14. वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 97, दिनांक 17.04.2 12 में उल्लेखित एवं वित्त निर्देश 11/2003 अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी को कोई वित्तीय अधि ार नही होगा।

2/ उपरोक्त संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1—1/31/स्था./2013, दिनांक 04/02/2013, जिसमें श्री सेलेस्टिन खाखा, मुख्य अभियंता, बिलासपुर को स्थानांतरित कर, मुख्य अभियंता (प्रबोधन) के पद पर कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर में पदस्थ किर गया है, को परियोजना निदेशक, छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना, रायपुर (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सी.आई.डी.पी.) ा प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12-2-2013
(राम मनोहर पाठक)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग